रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGISTERED NO. DL-33004/99

Issue No. 9, Missing.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 2, 1999 (पौष 12, 1920)
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 2, 1999 (PAUSA 12, 1920)

SECRETARIAT LIBRARY 7/4/99

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .	1
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	1
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं .	1
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	1
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . .	1
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	1
भाग V — अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु	*

*प्राप्त नहीं हुए ।

CONTENTS

PAGE

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence 1

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 1

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . . .

PART II—SECTION 1-A—Authoritative tests in Hindi Languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . . *

PART II—SECTION 2—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

ART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

PAGE

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 of Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . 1

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs 1

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . . *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 1

ART IV—Advertisements and Notices issued by private Individuals and private Bodies . 1

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc., both in English and Hindi *

*Folios not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सांविधिक नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 दिसम्बर 1998

सं. 4/1/सीएए/98—श्री माधवराव सिंधिया, संसद सदस्य, लोक सभा को 16 दिसम्बर, 1998 से विदेशी मामलों संबंधी समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए विदेशी मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति (1998-99) का सदस्य मनोनीत किया गया है ।

ए. के. सिंह
उप सचिव

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 नवम्बर 1998

संकल्प

सं. 1/20012/4/92-रा. भा. (नी-1)—राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 (1) के अधीन संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी । समिति द्वारा विधायन की भाषा तथा विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित प्रतिवेदन का 5वां खण्ड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया था । राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 (3) के अनुसार इसे लोक सभा के पटल पर तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया था । इसकी प्रतियां भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेजा गया । इस संबंध में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संस्थाओं के अतिरिक्त भारत के उच्चतम न्यायालय से प्राप्त मत पर विचार करने के उपरान्त वर्तमान विधिक व्यवस्थाओं तथा व्यवहारिकताओं को ध्यान में रखते हुए समिति की कुछ सिफारिशों को मूल रूप में, कुछ को सिद्धान्त रूप में, कुछ को आंशिक रूप में स्वीकार करने का, कुछ को स्वीकार्य पाया गया है तथा कुछ को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार, अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(4) के अधीन समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के निम्नलिखित आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है—

राजभाषा विभाग का सुदृढ़ीकरण तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की मानीटरिंग

संस्तुति सं. (1) गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग का पुनर्गठन करके उसे सम्पूर्ण मंत्रालय का दर्जा देते हुए अधिक सुदृढ़ और सक्षम बनाने के लिए अविलम्ब कार्रवाई की जानी चाहिए ।

"राजभाषा विभाग के वर्तमान कार्य क्षेत्र के सापेक्ष इसके लिए अलग से संपूर्ण मंत्रालय बनाना वर्तमान में व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है ।"

संस्तुति सं. (2) राजभाषा विभाग में इस समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के आदेशों के अनुपालन की कार्रवाई पर निगरानी रखने और इनका कार्यान्वयन कराने के लिए एक प्रभाग की स्थापना तुरन्त की जानी चाहिए ।

"समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों समेत अपनी कार्यान्वयन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के प्रस्ताव व्यय विभाग के साथ उठाए तथा उस पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करे ।"

संस्तुति सं. (3) अन्य मंत्रालयों/विभागों और उनसे संबंधित कार्यालयों, उपक्रमों, संस्थाओं आदि में भी राजभाषा नीति के अनुपालनार्थ और इस समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के आदेशों को लागू करने के उद्देश्य से मानीटरिंग, कार्यान्वयन और अनुवाद संबंधी कार्य के लिए अपेक्षित पदों का सृजन और उन पर नियुक्ति संबंधी कार्रवाई अविलम्ब की जानी चाहिए ।

"समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अपेक्षित कार्रवाई का अनुरोध करे ।"

संस्तुति सं. (4) समिति के प्रतिवेदन के चौथे खण्ड के पैरा 41.21 में की गई अनुशंसा के अनुसार जब तक राजभाषा विभाग को संपूर्ण मंत्रालय का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक यथासंभव राष्ट्रपति द्वारा इस समिति की सिफारिशों पर किए गए आदेशों

की अनुपालन की मानीटरिंग का कार्य भी यह समिति करते रहे ।

"राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिशों पर किए गए आदेशों के अनुपालन की मानीटरिंग का कार्य राजभाषा विभाग करे । इसके लिए आवश्यकतानुसार विभाग का सुदृढ़ीकरण किया जाए ।"

संस्तुति सं. (5) महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों की अवहेलना करने वाले हिन्दी में प्रवीण अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए ।

"राजभाषा विभाग ऐसे आदेश जारी करे कि सभी मंत्रालय/विभाग अपने वरिष्ठ अधिकारियों, विशेष कर उप सचिव एवं समकक्ष तथा उससे वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए विशेष तौर पर प्रेरित एवं उत्साहित करे ।"

2. विधेयकों आदि का पुरःस्थापन के लिए मूल प्रारूपण की भाषा

संस्तुति सं. (6) संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक या संविधान या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों, संकल्पों, विनियमों या उप-विधि का मूल प्रारूपण हिन्दी में किया जाना चाहिए । संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित हिन्दी पाठ मूल पाठ हो और अंग्रेजी अनुवाद अधिप्रमाणित पाठ के रूप में तब तक बनाया जाता रहे जब तक कि उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी का प्रयोग होता रहता है । राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 (2) में तदनुसार संशोधन किया जाना चाहिए ।

"यह सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है । इस दिशा में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रथम चरण में विधायी विभाग विधि विशेषज्ञों/प्रारूपकारों को हिन्दी में विधिक सामग्री के प्रारूपण के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करे ।"

संस्तुति सं. (7) हिन्दी भाषी राज्यों में भी इसी प्रकार विधेयक आदि का मूल प्रारूपण हिन्दी में किया जाना चाहिए । उनका अनुवाद अंग्रेजी में किया जाता रहे । जब राज्य विधान-मण्डलों में दोनों पाठ साथ-साथ पुरःस्थापित किए जाएं तो हिन्दी पाठों को प्राधिकृत माना जाए ।

"यह सिफारिश सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली गई है । अतः इस पर आगामी विचार एवं कार्रवाई करने के लिए "क" क्षेत्र में स्थित सभी राज्य सरकारों को भेज दिया जाये ।"

संस्तुति सं. (8) जहां तक अहिन्दी भाषी राज्यों का संबंध है वहां विधेयकों आदि का मूल प्रारूपण राज्य की राजभाषा में हो और उनका अनुवाद हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में हो । राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा-6 में भी इस आशय का मामूली संशोधन कर दिया जाए ।

"संस्तुति सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली गई है । इस पर आगामी विचार एवं कार्रवाई करने के लिए "ख तथा ग" क्षेत्र की राज्य सरकारों को भेज दिया जाए ।"

संस्तुति सं. (9) संघ की राजभाषा हिन्दी है और अहिन्दी भाषी राज्यों के विधायी प्रारूपण मूल रूप से संघ की राजभाषा में या हिन्दी में हों इसलिए संघ सरकार को राज्य सरकार के अधिनियमों आदि के हिन्दी अनुवाद में सहायता प्रदान करनी चाहिए या इस कार्य को करने के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए ।

"अहिन्दी भाषी राज्यों के विधायी प्रारूपण का हिन्दी अनुवाद तैयार करने के लिए राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने पर विचार करें तथा केन्द्र सरकार का विधायी विभाग ऐसे प्रशिक्षण के लिए आर्थिक योगदान उपलब्ध कराने की परियोजना बनाए ।"

संस्तुति सं. (10) भारत सरकार का विधायी विभाग अपने प्रारूपकारों के समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करे ताकि वे विधेयकों आदि का मूल प्रारूपण हिन्दी में कर सकें । इसके लिए यह आवश्यक है कि विधि का हिन्दी में कार्य करने के लिए पृथक विभाग बनाया जाए । योग्य और अनुभवी लोगों को आकर्षित करने के लिए हिन्दी और भारतीय भाषाओं के प्रारूपकारों को भारतीय विधिक सेवा में एक पृथक अंग के रूप में सम्मिलित किया जाए ।

"यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि भारत सरकार का विधायी विभाग, विधि विशेषज्ञों/प्रारूपकारों को विधिक सामग्री का मूल प्रारूपण हिन्दी में करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करे ।

3. लोक सभा और राज्यसभा सचिवालयों द्वारा संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन

संस्तुति सं. (11) लोकसभा और राज्य सभा के सचिवालयों द्वारा अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों आदि संबंधित प्रशासनिक मामलों पर कार्रवाई की स्थिति वही है जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की है । इसलिए इन सचिवालयों को भी प्रशासनिक कार्यों के लिए भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रमों के समान अपने दैनंदिन कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम बनाने चाहिए और इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर नियंत्रण रखने के लिए अपना तंत्र स्वयं स्थापित करना चाहिए ।

"समिति की यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है । संसद की दोनों सभाओं के अध्यक्ष महोदयों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस संस्तुति को क्रियान्वित करने के लिए विचार करने की कृपा करें ।"

4. उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में राजभाषा नीति का अनुपालन

संस्तुति सं. (12) उच्चतम न्यायालय के महा-रजिस्ट्रार के कार्यालय को अपने प्रशासनिक कार्यों में संघ सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करना चाहिए। वहां हिन्दी में कार्य करने के लिए आधारभूत संरचना स्थापित की जानी चाहिए और इस प्रयोजन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।

"संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है। इसके अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय की आंतरिक प्रशासनिक कार्य व्यवस्था में राजभाषा नीति चरणबद्ध तरीके से अपनाने के लिए विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से, एक व्यावहारिक कार्य योजना तैयार करें तथा उसे क्रियान्वित करने पर विचार करें।"

5. उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में भाषा का प्रयोग

संस्तुति सं. (13) उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का प्रयोग प्राधिकृत होना चाहिए। प्रत्येक निर्णय दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो। उच्चतम न्यायालय द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में निर्णय दिया जा सकता है। यदि निर्णय हिन्दी में सुनाया गया हो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करके और यदि अंग्रेजी में सुनाया गया हो तो उसका हिन्दी अनुवाद करके ऐसा किया जा सकता है।

"यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है। विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय इस संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से उस न्यायालय के लिए उन अतिरिक्त व्यवस्थाओं तथा संसाधनों एवं उस पर होने वाले खर्च का आकलन करें जो कि इस संस्तुति को अपनाने के लिए आवश्यक होगा। साथ ही, इसके लिए एक दीर्घकालीन कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करने पर विचार हो।"

6. उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग

संस्तुति सं. (14) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और अन्य अधिकारियों को अपने प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग करने के संबंध में प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना शुरू की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि का आयोजन किया जाना चाहिए।

"यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि इसे "क" क्षेत्र में स्थित उच्च न्यायालयों के परिप्रेक्ष्य में संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यक विचार एवं कार्रवाई के लिए भेज दिया जाए तथा अन्य उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में उचित समय आने पर संबंधित राज्य सरकारें तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय इस पर कार्रवाई करने पर विचार करें।"

संस्तुति सं. (15) एक ऐसा संस्थान या संगठन स्थापित किया जाना चाहिए जो न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और विधि-शिक्षकों को विधि के क्षेत्र में अर्थात् विधायन, न्यायिक कार्य और विधि शिक्षा के लिए हिन्दी के प्रयोग का प्रशिक्षण दें।

"इस संस्तुति को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत सरकार के विधायी विभाग द्वारा इस दिशा में आवश्यक पहल की जाए।"

7. उच्च न्यायालयों के निर्णयों/कार्यवाहियों में भाषाओं का प्रयोग

संस्तुति सं. (16) उच्च न्यायालयों के निर्णय, डिक्रियों व आदेशों में राज्य की राजभाषा अथवा हिन्दी का प्रयोग किया जाना चाहिए। किन्तु यह व्यवस्था भी की जानी चाहिए कि प्रत्येक निर्णय का प्राधिकृत अनुवाद दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो। जब तक अंग्रेजी का प्रचलन बना रहता है तब तक इनका प्राधिकृत अनुवाद अंग्रेजी में सुलभ कराने की व्यवस्था की जा सकती है। तथापि उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियां राज्य की राजभाषा में अथवा हिंदी में या अंग्रेजी में की जा सकती है।

"इस संस्तुति पर संविधान तथा राजभाषा अधिनियम 1963 के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने की वर्तमान नीति पर्याप्त है।"

संस्तुति सं. (17) अहिन्दी भाषी राज्यों में भी संबंधित राज्य की राजभाषा में दिए गए निर्णयों का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद कराने के लिए संघ सरकार संबंधित राज्य सरकारों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करें।

"अहिंदी भाषी राज्यों में भी संबंधित राज्य की राजभाषा में दिए गए निर्णयों का प्राधिकृत पाठ हिन्दी में उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार स्वयं अपने वित्तीय संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग कर इस दिशा में कार्य करें।"

8. संघ के न्यायिक कल्प संगठन, प्रशासनिक अभिकरण आदि में राजभाषा नीति का अनुपालन

संस्तुति सं. (18) संघ के न्यायिक कल्प संगठन, प्रशासनिक अधिकरण आदि केन्द्रीय सरकार के अंग हैं और केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन हैं। अतएव उन्हें भी अन्य केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों की तरह अपना कामकाज राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार करना चाहिए। कुछ न्यायिक कल्प निकायों के नियमों में या उनसे संबंधित सभी अधिनियमों और नियमों में तुरन्त संशोधन करके उनमें संघ की राजभाषा हिंदी के प्रयोग की व्यवस्था की जाए।

"यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने कार्य क्षेत्र में नए न्यायिक कल्प संगठन/निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरणों इत्यादि की स्थापना करते समय उनमें संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित प्रावधान सदैव बनाए। सरकार का हर विभाग/मंत्रालय अपने

नियंत्रणाधीन एवं वर्तमान में कार्यरत अर्ध-न्यायिक निकायों इत्यादि में राजभाषा नीति के अनुकूल प्रावधान करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए ।''

9. हिंदी माध्यम से विधि की शिक्षा

संस्तुति सं. (19) हिंदी के माध्यम से भी स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर विधि की शिक्षा की व्यवस्था पूरे देश में सभी विश्वविद्यालयों तथा अन्य विधि के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को करनी चाहिए । इस समय भी अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा हिंदी में विधि शिक्षा प्रदान की जा रही है । इसका विस्तार होना चाहिए ।

''समिति की इस संस्तुति पर शिक्षा विभाग चरणबद्ध रूप से अपेक्षित कार्रवाई करे ।''

संस्तुति संख्या (20) अन्य भाषाओं में उपलब्ध विधि के गौरव-ग्रंथों को हिंदी में अनुवाद करने के कार्य में तेजी लानी चाहिए ।

''समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । विधि कार्य विभाग इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए ।''

संस्तुति सं. (21) यह भी आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय के सभी प्रतिवेद्य निर्णयों को हिंदी में अनुवादित कर विधायी विभाग की पत्रिका में प्रकाशित किया जाए । इसी प्रकार विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए प्रतवेद्य निर्णयों को भी अधिकाधिक संख्या में अनुवाद करके उन्हें हिंदी में प्रकाशित किया जाना चाहिए ।

''समिति की यह संस्तुति सिद्धांत रूप से मान ली गई है । विधायी विभाग इस दिशा में प्रारम्भिक प्रयास के लिए आवश्यक कदम उठाए ।''

संस्तुति सं. (22) दिल्ली में एक पुस्तकालय स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं का अधिकतम एवं अद्यतन विधि साहित्य उपलब्ध हो ।

''यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है तथापि विधि और न्याय मंत्रालय संबंधित संगठनों के परामर्श से प्रस्तावित पुस्तकालय स्थापित करने की एक समयबद्ध योजना बनाए और उस पर कार्रवाई करें ।''

आदेश

इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक, लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालय, उच्चतम न्यायालय के महा-रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विधि आयोग, बार काउंसिल ऑफ इण्डिया आदि को भेजी जाए ।

इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित करवाया जाए ।

देव स्वरूप
संयुक्त सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 17th December, 1998

No. 4/1/CEA/98—Shri Madhavrao Scindia, M.P., Lok Sabha has been nominated serve as a Member of the Parliamentary Standing Committee on External Affairs (1998-99) w.e.f. 16th December, 1998 for the remaining portion of the term of the Committee on External Affairs.

A. K. SINGH, Dy. Secy

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi-110003, the 24th November, 1998

RESOLUTION

No. 1/20012/4/92-O.L.(Policy-1)—The Committee of Parliament on Official Language was constituted under Section 4(1) of the Official Languages Act, 1963. The Committee submitted fifth part of its Report, relating to language(s) of the legislation and languages to be used in various courts and tribunals to the President. In accordance with Section 4(3) of the Official Languages Act, 1963, the Report was laid on the table of Lok Sabha and on the table of Rajya Sabha. Copies of the Report were sent to all the Ministries /Departments of Government of India and to all States/Union Territories. After considering the views expressed by the State/Union Territory Governments and various Ministries/Departments/Institutions besides the Supreme Court of India and the legal position and practical possibilities, decision has been taken to accept some recommendations of the Committee in their original form, some in principle, some partially, while some have been found acceptable and some others have not been accepted. Accordingly, the undersigned is directed to convey the Orders of the President made under Section 4(4) of the Official Languages Act, 1963 on the recommendations made in the Report of the Committee, as follows :—

(1) Strengthening of the Department of Official Language and monitoring the implementation of the Official Language Policy.

Recommendation No. 1

Action should be taken urgently by reorganising the Department of Official Languge of the Ministry of Home Affairs and giving it the status of a full-fieged Ministry in order to make it more strong and competent.

"It may not be pragmatic to give the Department of Official Language the status of a full-fieged Ministry in view of the work allocated to it at present."

Recommendation No. 2.

A Division should be set up in the Department of Official Language immediately for monitoring the follow-up action and ensuring implementation of the Presidential Orders on the recommendations of this Committee.

"This recommendation of the Committe has been accepted in principle. The Department of Official Language shall formulate and take up the proposal with the Department of Expenditure for strengthening of its implementation set-up including the Regional Implementation Offices and ensure action thereon."

Recommendation No. 3

In other Ministries/Departments and in their related offices, undertakings, institutions etc. also action to create posts required for monitoring, implementation and translation arrangements for compliance of official language policy and to implement orders of the President on the recommendations of this Committee, and, action for making appointments on those posts should be taken without delay.

"This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language shall request all the Ministries/Departments to take necessary action."

Recommendation No. 4

In accordance with the recommendations made in para 41.21 of Part-IV of the Report of this Committee, the Committee should monitor the compliance of the Presidential Orders made on the recommendations of the Committee until the Department of Official Language is given the status of a full-fledged Ministry.

"The Department of Official Language may monitor the compliance of the Presidential Orders made on the recommendations of the Committee. For this purpose, the Department should be suitably strengthened."

Recommendation No. 5

Stringent action may be taken against those officers who in spite of being proficient in Hindi are violating Presidential Orders.

"The Department of Official Language may issue directions to all the Ministries/Departments that they should motivate and encourage their senior officers, especially Deputy Secretaries and officers of equivalent rank and other officers senior to them to do their work in the Official Language Hindi."

2. The Language of the original draft of Bills etc. to be introduced in Parliament.

Recommendation No. 6

The original drafting of Bills to be inntroduced in either House of Parliament or Notifications, Orders, Rules, Resolutions, Regulations or Bye-laws issued under the Constitution or any Central Act, should be in Hindi. Hindi text introduced in either House of Parliament should be the original text and English version of the text should be prepared as authenticated text till the English language continues to be used in the Supreme Court. Section 5(2) of the Official Languages Act, 1963 should be amended accordingly.

"This recommendation has been accepted in principle. As a first step towards achieving this target, the Legislative Department should make arrangements for imparting training to the legal experts/draftmen for drafting legal documents in Hindi."

Recommendation No. 7

Similarly, original drafting of Bills etc. should be done in Hindi in the Hindi speaking States and their translation in English should continue to be made. While both the versions should be introduced in State Legislative simultaneously, the Hindi version should be considered as the authoritative text.

"This recommendation has been accepted in principle. Therefore, it may be forwarded to all the State Governments located in Region 'A', for further consideration and action."

Recommendation No. 8

As regards the non-Hindi speaking States, original drafting of Bills etc. should be done in the Official Language of the State and its translation should be done in Hindi and English both. A minor amendment to this effect may be carried out in Section 6 of the Official Languages Act, 1963.

"This recommendation has been accepted in principle. It may be forwarded to State Governments of Regions "B" and "C" for further consideration and action".

Recommendation No. 9

Hindi is the Official Language of the Union and for making legislative drafting of the non-Hindi speaking States originally in the official language of the State or in Hindi, the Union Government should provide assistance for Hindi translation of the Acts of State Governments or grant financial assistance to non-Hindi speaking States for this purpose.

"For preparing Hindi version of legislative draft, the State Governments located in non-Hindi speaking regions may consider formulating training programmes for their employees and the Legislative Department of the Central Government may formulate a project to provide financial assistance for such training."

Recommendation No. 10

Legislative Department of the Government of India should make adequate arrangements for imparting training to its draftsmen to enable them to draft Bills etc. originally in Hindi. For this purpose, it is necessary that a separate Department is set up for doing legal work in Hindi. In order to attract efficient and experienced persons, the draftsmen of Hindi and other Indian languages should be inducted in the Indian Legal Service as a separate body.

"This recommendation is accepted to the extent that Legislative Department of the Government of India should make arrangements for imparting training to legal experts/draftsmen for drafting legal material originally in Hindi."

3. Compliance of Official Language Policy of the Union by Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats.

Recommendation No. 11

The position regarding action on administrative matters relating to service conditions of the employees of the Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats is similar to that of any Central Government Office. Therefore, these Secretariats should also prepare their annual programmes for progressive use of Hindi in their day-to-day work on the pattern of annual programme issued by the Department of Official Languages, Government of India and should set up their own machinism for monitoring the implementation thereof.

"This recommendation of the Committee has been found acceptable. The Speaker of the Lok Sabha and the Chairman of the Rajya Sabha are requested to consider this recommendation for implementation."

4. Compliance of Official Language Policy in the Office of the Registrar General, Supreme Court.

Recommendation No. 12

Office of the Registrar General, Supreme Court should comply with the provisions regarding Official Language Policy of the Union of India in its administrative work. Basic infrastructure for doing work in Hindi should be set up and officers and employees should be given incentives for this purpose.

"The recommendation has been found worthy of acceptance. Ministry of Law, Justice and Company Affairs may in consultation with the Supreme Court, consider preparing a feasible work-plan for introducing an Official Language Policy in a phased manner in the internal administrative working of the Supreme Court and may consider implementing the same."

5. Use of language in judgements of the Supreme Court.

Recommendation No. 13

The use of Hindi simultaneously with English should be authorised in the Supreme Court. Every judgement Should be made available in both the languages. The judgement can be delivered by the Supreme Court in Hindi or English. This may be done in such a manner that a judgement, if delivered in Hindi, should be translated in English and if the judgement is delivered in English, the same should be translated in Hindi.

"This recommendation has been found worthy of acceptance. In the context of this recommendation, Ministry of Law, Justice and Company Affairs may, in consultation with the Supreme Court, assess the additional arrangements and resources and financial outlays, necessary for accepting the recommendation. In tandem, a long term action plan may be prepared and considered for implementation."

6. Use of Hindi in the administrative work by the Judges of the Supreme Court/High Courts.

Recommendation No. 14

A scheme should be initiated to encourage judges and other officers of the Supreme Court & various High Courts for use of Hindi in their administrative and judicial work. Seminars, workshops, refresher courses, training programmes etc. should be organised for this purpose.

"This recommendation is accepted to the extent that the recommendation may be forwarded to concerned State Governments for necessary consideration and action in the context of the High Courts located in Region 'A'. In the context of other High Courts & the Supreme Court, the concerned State Government and the Ministry of Law, Justice & Company Affairs should consider taking action in this regard at an appropriate time."

Recommendation No. 15

An institution or organisation should be set up to impart training for the use of Hindi language the field of law namely, legislation judicial functioning and teaching of law to the officers of judiciary, lawyers and law teachers.

"This recommendation is accepted in principle. The Legislative Department of Government of India may take appropriate initiative in this regard."

7. Use of Languages in the judgements/proceedings of High Courts.

Recommendation No. 16

The official language of the concerned State or Hindi should be used in the judgements. decrees and orders of High Courts. But arrangements should also be made so that the authoritative translation of each judgement is made available in both the languages. As long as English continues to be in vogue, arrangements for providing their authoritative translation in English may be made. However. the proceedings of the High Courts may be conducted in the official language of the States or in Hindi or in English.

"For the purpose of this recommendation, the present policy to act within the frame-work of the available provisions of the Constitution and the Official Languages Act, 1963, is adequate."

Recommendation No. 17.

For providing authoritative Hindi translation of judgements delivered in the Official Language of the concerned State,the Union Government may provide special financial assistance to the concerned State Governments of non-Hindi speaking States.

"For making available authenticated Hindi translation of judgements delivered in the State Official Languages of non-Hindi speaking States, the concerned State Governments may themselves take action in this behalf by optimally utilizing their own financial resources."

8. Compliance of the Official Language Policy in the Quasi-Judicial Organisations, Administrative Tribunals etc. of the Union.

Recommendation No. 18.

The quasi-judicial organisations, administrative tribunals etc. of Union are the organs of the Central Government and are under the control of Central Government. Therefore, like other Central Government Offices, they should also do their official work in accordance with the Official Languages Act, 1963 and the rules framed thereunder. Some of the rules of the quasi-judicial bodies or all the Acts and Rules relating to them should be amended immediately and a provision should be made therein for the use of Hindi, the Official Language of the Union.

"This recommendation has been found worthy of acceptance. Every Ministry/ Department should always make the necessary provisions required for ensuring compliance of Offical Language Policy of the Union at the time of establishing new quasi-judicial establishments/bodies, administrative authorities etc. within its jurisdiction. Every Ministry/Department of the Government should also take steps for having the necessary provisions in keeping with the official language policy in the quasi-judicial bodies etc., existing under their control."

9. Education of Law through Hindi medium.

Recommendation No. 19

All the Universities and other Institutions in the field of law should make arrangements for imparting education in law at graduate and post-graduate levels in Hindi in the whole country. Even at present, education in law is being imparted in Hindi in many Universities which needs to be extended.

"On this recommendation, the Department of Education may take necessary action in a phased manner."

Recommendation No. 20.

The task of translating legal classics, available in other languages, into Hindi may be accelerated.

"This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Legal Affairs should take necessary steps in this regard."

Recommendation No 21

It is also necessary that all the reportable judgements of the Supreme Court should be published in the journal of Department of Law after getting them translated in Hindi. Likewise all the reportable judgements of various High Courts, should also be published in as large a number as possible after getting them translated into Hindi.

"This recommendation of the Committee has been accepted in principle. The Legislative Department may take steps necessary for initiating efforts in this regard."

Recommendation No. 22

A library should be set up in Delhi in which maximum number of latest books pertaining to law in various Indian Languages should be available.

"This recommendation has been found worthy of acceptance. The Ministry of Law, Justice and Company Affairs may prepare a time-bound plan for setting up the proposed library in consultation with the concerned organisations and take action thereon."

ORDER

A copy of this Resolution be sent to all the Ministries and Departments of the Government of India. All State Governments and Union Territories, the President's Secretariat, the Vice President's Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Prime Minister's Office, the Planning Commission, the Controller and Auditor General of India, the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat, the Registrar General of Supreme Court, the University Grants Commission, the Law Commission, the Bar Council of India etc.

This Resolution should also be published in the Gazette of India for general information.

DEV SWARUP,
JT. SECY. TO THE GOVT. OF INDIA

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1999
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1999.